भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
**लोक सभा**
**तारांकित प्रश्न संख्या *439**
दिनांक 01.04.2025 को उत्तरार्थ

## पंचायतों के लिए बुनियादी सुविधाएं

*439. श्रीमती मंजू शर्माः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) सरकार द्वारा पंचायतों को क्या बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई हैं तथा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्यवार क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं;
(ख) क्या सरकार ने देश के गांवों में जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से पंचायतों को प्रदान की गई बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा देश में पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

**'पंचायतों के लिए बुनियादी सुविधाएं के संबंध में दिनांक 01.04.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 439 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण**

(क) पंचायत, "स्थानीय सरकार" होने के नाते, एक राज्य विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची (अनुच्छेद 246) की राज्य सूची का हिस्सा है। भारत के संविधान के भाग IX में अनुच्छेद 243 द्वारा अधिदेश के अनुसार तीन/दो स्तरों की पंचायतों की स्थापना करना राज्य का अधिकार है। राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह पंचायतों को ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान करे जो स्वशासन की संस्था के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो।

केंद्र सरकार केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय वित्त आयोग अनुदानों के माध्यम से पंचायतों में बुनियादी ढांचे के निर्माण की दिशा में राज्यों और ग्राम पंचायतों के प्रयासों को **पूरक** बनाती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 केंद्रीय वित्त आयोगों को संघ, राज्यों और उनके संबंधित स्थानीय निकायों के वित्त की स्थिति का आकलन करने और राज्यों और स्थानीय निकायों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए करों के साथ-साथ अनुदानों के बंटवारे की सिफारिश करने का आधार प्रदान करता है। वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग ग्रामीण स्थानीय निकायों यानी पंचायतों द्वारा वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित 29 विषयों के तहत स्थान-विशिष्ट महसूस की जाने वाली आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है।

पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत, अंतरिम अवधि वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए 60,750 करोड़ रुपये का अनुदान आवंटित किया गया था और वित्त वर्ष 2021-2026 की अवधि के लिए 2,36,805 करोड़ रुपये 28 राज्यों में तीनों स्तरों और पारंपरिक स्थानीय निकायों और छठी अनुसूची क्षेत्रों में पंचायतों को आवंटित किए गए हैं। पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान के दो घटक हैं- बद्ध (टाइड) और अबद्ध (अनटाइड)।

पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत कुल अनुदान का 40% अबद्ध (अनटाइड) अनुदान, वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर, संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित 29 विषयों के तहत स्थान-विशिष्ट महसूस की जाने वाली आवश्यकताओं के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा उपयोग किया जा सकता है।

बद्ध (टाइड) अनुदान, जो कि कुल अनुदान का 60% है, बुनियादी सेवाओं जैसे (क) स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति को बनाए रखना, और इसमें घरेलू कचरे का प्रबंधन और उपचार, और मानव मल और मल प्रबंधन और (ख) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है । यदि किसी स्थानीय निकाय ने एक श्रेणी की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा कर लिया है, तो वह दूसरी श्रेणी के लिए निधियों का उपयोग कर सकता है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पंचायतों और ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों का राज्यवार आवंटन और जारी किया गया विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है

संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत, मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करने और मुख्य रूप से पूर्वोत्तर, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए सीमित पैमाने पर ग्राम पंचायत भवन और कंप्यूटर जैसे पंचायत बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए सहायता प्रदान करता है।

संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत, स्वीकृत ग्राम पंचायत भवन और कंप्यूटरों की संख्या की राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों स्थिति **अनुबंध-II** में दी गई है।

(ख) और (ग) केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान से पंचायतों द्वारा किए गए व्यय की समीक्षा करने के लिए, राज्य सरकार को राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर समवर्ती निगरानी के लिए डैशबोर्ड प्रदान किया गया है। मंत्रालय ने अप्रैल 2020 में ई-ग्राम स्वराज (https://egramswaraj.gov.in) वेब-आधारित पोर्टल लॉन्च किया है। ई-ग्रामस्वराज

पंचायत के योजना से लेकर भुगतान तक के सभी वित्तीय कार्यों को एकीकृत करता है। इस प्रगति को डैशबोर्ड पर एकत्र किया जाता है।

मेरी पंचायत एप्लीकेशन पंचायत के कामकाज के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करती है, जिसमें विकास योजनाएं, वित्त, निर्वाचित प्रतिनिधि और संकल्प शामिल हैं। ग्राम पंचायत में ई-गवर्नेंस के माध्यम से नागरिक केंद्रित योजना को बढ़ाने के लिए ग्राम सभा की बैठकों का समय निर्धारित करने, नागरिकों को सूचित करने, एजेंडा प्रसारित करने, पंचायत के निर्णयों को रिकॉर्ड करने आदि के लिए पंचायत निर्णय एप्लीकेशन भी विकसित किया गया है।

इसके अलावा, पंचायत खातों यानी ग्राम पंचायतों की प्राप्तियों और व्ययों का समय पर ऑडिट सुनिश्चित करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने एक ऑनलाइन एप्लिकेशन ऑडिटऑनलाइन (https://auditonline.gov.in) शुरू किया है। यह एप्लिकेशन न केवल पंचायत खातों की ऑडिटिंग की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि लेखापरीक्षा रिकॉर्ड बनाए रखने की सुविधा भी प्रदान करता है। यह एप्लिकेशन ऑडिट पूछताछ, ड्राफ्ट स्थानीय ऑडिट रिपोर्ट, ड्राफ्ट ऑडिट पैरा आदि के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है और इस प्रकार पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए पंचायतों द्वारा खातों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करता है।

मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में केंद्र प्रायोजित योजना संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को लागू कर रहा है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना है, जिसके तहत सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह प्रशिक्षण उनके नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने के लिए है, ताकि ग्राम पंचायतें प्रभावी रूप से कार्य कर सकें और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को जमीनी स्तर पर स्थानीयकरण के माध्यम से प्राप्त कर सकें। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने और जमीनी स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को स्थानीयकरण करने और सरकार द्वारा की गई विभिन्न ई-गवर्नेंस पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पंचायतों की क्षमता का निर्माण करने के लिए भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

***

**अनुबंध-I**

**पंचायतों के लिए बुनियादी सुविधाएं के संबंध में दिनांक 01.04.2025 को उत्तरार्थ लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. 439 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध**

**पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यों को पंचायतों/ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान का आवंटन और जारी राशि का विवरण**

**(राशि करोड़ रुपये में)**

| क्र सं | राज्य | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | | 2024-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आवंटन | जारी | आवंटन | जारी | आवंटन | जारी | आवंटन | जारी |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1939.00 | 1917.85 | 2010.00 | 1976.75 | 2031.00 | 1997.45 | 2152.00 | 2109.97 |
| 2 | अरूणाचल प्रदेश | 170.00 | 170.00 | 177.00 | 0.00 | 179.00 | 0.00 | 189.00 | 0.00 |
| 3 | असम | 1186.00 | 1186.00 | 1228.00 | 1228.00 | 1241.00 | 1241.00 | 1315.00 | 0.00 |
| 4 | बिहार | 3709.00 | 3709.00 | 3842.00 | 3842.00 | 3884.00 | 3855.33 | 4114.00 | 4109.01 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 1075.00 | 1075.00 | 1114.00 | 1114.00 | 1125.00 | 1125.00 | 1192.00 | 1185.25 |
| 6 | गोवा | 55.00 | 55.00 | 57.00 | 48.46 | 58.00 | 8.62 | 62.00 | 0.00 |
| 7 | गुजरात | 2362.00 | 2362.00 | 2446.00 | 2446.00 | 2473.00 | 2473.00 | 2619.00 | 0.00 |
| 8 | हरियाणा | 935.00 | 935.00 | 968.00 | 967.30 | 979.00 | 953.59 | 1036.00 | 1012.51 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 317.00 | 317.00 | 329.00 | 329.00 | 332.00 | 318.04 | 352.00 | 229.19 |
| 10 | झारखण्ड | 1249.00 | 1249.00 | 1293.00 | 1293.00 | 1307.00 | 1307.00 | 1385.00 | 0.00 |
| 11 | कर्नाटक | 2377.00 | 2375.50 | 2463.00 | 2093.55 | 2490.00 | 2086.59 | 2637.00 | 1525.69 |
| 12 | केरल | 1203.00 | 1203.00 | 1246.00 | 1246.00 | 1260.00 | 1260.00 | 1334.00 | 1334.00 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 2944.00 | 2944.00 | 3050.00 | 3050.00 | 3083.00 | 2819.24 | 3265.00 | 0.00 |
| 14 | महाराष्ट्र | 4307.00 | 4267.16 | 4461.00 | 3696.71 | 4510.00 | 3629.21 | 4776.00 | 3169.72 |
| 15 | मणिपुर | 131.00 | 65.50 | 135.00 | 0.00 | 137.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 |
| 16 | मेघालय | 135.00 | 67.50 | 140.00 | 0.00 | 141.00 | 0.00 | 149.00 | 0.00 |
| 17 | मिजोरम | 69.00 | 69.00 | 71.00 | 71.00 | 72.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 |
| 18 | नागालैंड | 92.00 | 92.00 | 96.00 | 0.00 | 97.00 | 0.00 | 102.00 | 0.00 |
| 19 | ओड़िशा | 1669.00 | 1669.00 | 1728.00 | 1728.00 | 1747.00 | 1746.91 | 1851.00 | 1851.00 |
| 20 | पंजाब | 1026.00 | 1026.00 | 1062.00 | 1062.00 | 1074.00 | 1058.35 | 1138.00 | 562.93 |
| 21 | राजस्थान | 2854.00 | 2854.00 | 2957.00 | 2955.34 | 2989.00 | 2847.96 | 3166.00 | 2803.69 |
| 22 | सिक्किम | 31.00 | 31.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 35.00 | 32.34 |
| 23 | तमिलनाडु | 2666.00 | 2666.00 | 2761.00 | 2761.00 | 2791.00 | 2791.00 | 2957.00 | 1478.50 |
| 24 | तेलंगाना | 1365.00 | 1365.00 | 1415.00 | 1415.00 | 1430.00 | 1424.18 | 1514.00 | 0.00 |
| 25 | त्रिपुरा | 141.00 | 141.00 | 147.00 | 147.00 | 148.00 | 148.00 | 157.00 | 156.31 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 7208.00 | 7208.00 | 7466.00 | 7466.00 | 7547.00 | 7547.00 | 7994.00 | 7994.00 |
| 27 | उत्तराखण्ड | 425.00 | 418.70 | 440.00 | 439.21 | 445.00 | 444.13 | 471.00 | 234.91 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 3261.00 | 3261.00 | 3378.00 | 3378.00 | 3415.00 | 3415.00 | 3617.00 | 3472.22 |
| | **कुल** | **44901.00** | **44699.22** | **46513.00** | **44786.31** | **47018.00** | **44529.58** | **49800.00** | **33261.25** |

**अनुबंध-II**

**पंचायतों के लिए बुनियादी सुविधाएं के संबंध में दिनांक 01.04.2025 को उत्तरार्थ लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. 439 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध**

**राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत स्वीकृत पंचायत भवन के निर्माण की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति**

| क्र. सं. | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **2021-22** | **2022-23** | **2023-24** | **2024-25** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **स्वीकृत भवन** | **स्वीकृत भवन** | **स्वीकृत भवन** | **स्वीकृत भवन** |
| 1 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 617 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 300 | 939 | 540 | 661 |
| 4 | असम | 95 | 261 | 432 | 349 |
| 5 | बिहार | 500 | 500 | 280 | 136 |
| 6 | छत्तीसगढ | 54 | 54 | 0 | 210 |
| 7 | दादरा और नगर हवेली | 13 | 13 | 0 | 4 |
| 8 | दमन और दीव | | | | |
| 9 | गोवा | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | गुजरात | 30 | 0 | 15 | 412 |
| 11 | हरियाणा | 383 | 383 | 0 | 509 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 389 | 292 | 101 | 119 |
| 13 | जम्मू और कश्मीर | 742 | 500 | 500 | 970 |
| 14 | झारखंड | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | कर्नाटक | 100 | 0 | 0 | 258 |
| 16 | केरल | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 17 | लद्दाख | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 100 | 0 | 0 | 50 |
| 20 | महाराष्ट्र | 420 | 513 | 439 | 961 |
| 21 | मणिपुर | 27 | 27 | 11 | 27 |
| 22 | मेघालय | 0 | 6 | 30 | 24 |
| 23 | मिजोरम | 15 | 246 | 330 | 335 |
| 24 | नागालैंड | 50 | 84 | 134 | 183 |
| 25 | ओडिशा | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | पुदुचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | पंजाब | 259 | 259 | 89 | 500 |
| 28 | राजस्थान | 43 | 43 | 32 | 10 |
| 29 | सिक्किम | 5 | 25 | 20 | 19 |
| 30 | तमिलनाडु | 80 | 0 | 0 | 146 |
| 31 | तेलंगाना | 675 | 675 | 182 | 286 |
| 32 | त्रिपुरा | 29 | 44 | 42 | 14 |
| 33 | उत्तराखंड | 0 | 100 | 180 | 684 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 1085 | 973 | 615 | 126 |
| 35 | पश्चिम बंगाल | 0 | 0 | 35 | 117 |
| | कुल* | **5443** | **5969** | **4008** | **7730** |

* **अनुमोदित पंचायत भवन में पिछले वर्ष का कैरीओवर भी शामिल है।**

**राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत कंप्यूटर की खरीद की मंजूरी का ब्यौरा**

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2021-22 स्वीकृत कंप्यूटर | 2022-23 स्वीकृत कंप्यूटर | 2023-24 स्वीकृत कंप्यूटर | 2024-25 स्वीकृत कंप्यूटर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 500 | 500 | 500 | 1922 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 442 | 800 | 400 | 600 |
| 4 | असम | 500 | 500 | 500 | 687 |
| 5 | बिहार | 267 | 267 | 267 | 2267 |
| 6 | छत्तीसगढ | 100 | 0 | 600 | 5896 |
| 7 | दादरा और नगर हवेली | 38 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | दमन और दीव | | | | |
| 9 | गोवा | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | गुजरात | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | हरियाणा | 0 | 0 | 0 | 1363 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 389 | 334 | 0 | 0 |
| 13 | जम्मू और कश्मीर | 318 | 318 | 1000 | 1000 |
| 14 | झारखंड | 240 | 240 | 0 | 2066 |
| 15 | कर्नाटक | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | केरल | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | लद्दाख | 100 | 63 | 60 | 64 |
| 18 | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 289 |
| 20 | महाराष्ट्र | 0 | 0 | 0 | 945 |
| 21 | मणिपुर | 15 | 60 | 60 | 81 |
| 22 | मेघालय | 1525 | 1177 | 1677 | 1677 |
| 23 | मिजोरम | 500 | 591 | 591 | 573 |
| 24 | नागालैंड | 300 | 244 | 244 | 345 |
| 25 | ओडिशा | 0 | 0 | 50 | 100 |
| 26 | पुदुचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | पंजाब | 61 | 0 | 0 | 8334 |
| 28 | राजस्थान | 1554 | 1554 | 0 | 0 |
| 29 | सिक्किम | 0 | 185 | 50 | 50 |
| 30 | तमिलनाडु | 500 | 0 | 0 | 1594 |
| 31 | तेलंगाना | 1812 | 1812 | 1812 | 3452 |
| 32 | त्रिपुरा | 720 | 475 | 475 | 475 |
| 33 | उत्तराखंड | 500 | 0 | 500 | 3760 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 3145 | 3145 | 3145 | 0 |
| 35 | पश्चिम बंगाल | 0 | 0 | 0 | 112 |
| | कुल* | **13630** | **12265** | **11931** | **37656** |

*__स्वीकृत कम्प्यूटरों में पिछले वर्ष का कैरीओवर भी शामिल है__

***